

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
पत्रांक 2582 / 14-10, अलीगढ़: दिनांक: मार्च: 18, 2017

सेवा में

परियोजना निदेशक,
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
 पी०आर०एच०, आशियाना, फेस-1,
 गिकट बाप का मंदिर, कोठ रोड,
 मुरादाबाद ।

विषय- लोक निर्माण विभाग को अलीगढ़-मुरादाबाद संवहन (एन०एच०-93) के चौड़ीकरण किये जाने हेतु अलीगढ़ में कि०मी० 85.700 से 100.372 तक 74226 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 250 वृक्षों के पालन, बुलन्दशहर में कि०मी० 120.00 से 133.880 तक 3.5760 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 81 वृक्षों के पालन, सम्मल में कि०मी० 142.220 से 205.00 तक 32.7792 हे० संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग व 3777 वृक्षों के पालन तथा मुरादाबाद में कि०मी० 205.00 से 232.00 तक 14.4852 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 454 वृक्षों के पालन कुल 58.2630 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 4542 वृक्षों के पालन की अनुमति।

संदर्भ- भारत सरकार प्रवर्धन वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं०-891/यूपी०/06/93/2016/एच०सी०/543 दि० 09-09-2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार प्रवर्धन वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दि० 09-09-2017 हांग कतिपय हर्ता के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन आपसे दोषनीय है। कृपया निर्धारित शर्त सं०-1 से 8 तक निम्न प्रकार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तथा मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ०प्र० लखनऊ की पत्र सं०-384/2-37-2 (ई-पेन्ट पोर्टल) दि० 20-09-2015 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशानुसार उचित सूचना /अभिलेख स्थापित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अथवा वन भूमि (58.2630X 2= 116.526 हे०) अर्थात् 117.004 हे० पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (इस प्रभाग की दुगुने अथवा वन भूमि अर्थात् 14.8452 हे० भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुक्षण की धनराशि सं०- 39,80,000/-) (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए स्थापित) ई-पेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०एच०सी०-568 एवं भारत सरकार के पत्र सं-5-3/2007-एच०सी० दिनांक 05-02-2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि (इस प्रभाग की एन०पी०वी० की धनराशि सं०- 59,00,348/-) ई-पेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(ख) इससे उपरान्त याचक विभाग द्वारा ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृती की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचन बढ़ता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन०पी०वी० की दरों में बढोत्तरी होती है तो नवी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं प्लान पर दर्शाया जायेगा। और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

4- प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बढ़ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई०आर०सी० के मानकों के अनुसूच तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०पी०वी०) सेन्ट्रल जोन बैंक, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं०-27/2015 बाबुलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16-11-2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा मिडेल पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

5- प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।

6- राज्य सरकार प्रकरण में किसी भी प्रकार का शासनदेश जारी करने से पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आधार संहिता के नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करेगी।

उक्त प्रकारण में दो लैन पेड सोल्डर में चौड़ीकरण कार्य के अनारगट जनपद अलीगढ़ में बाघक वृक्षों के घातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्गत की जा चुकी है। उक्त प्रस्ताव में सम्मिलित बाघक वृक्षों / पौधों का विवरण निम्नानुसार है।

क्रम सं०	जनपद	वृक्षों की सं० (गर्त > 30 से०मी०)	पौधों की सं० (गर्त < 30 से०मी०)
1	अलीगढ़	194	56

छपान- बाघक वृक्षों के छपान हेतु धनराशि *(धिमूख वन संरक्षक, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-५-105/16-57 (लाट) दि० 23-9-2014 के बिन्दु सं०-2 में हुए संशोधन के अनुसार ₹० 10/- प्रति वृक्ष के आधार पर) 250 वृक्ष दर 10/- ₹० प्रति वृक्ष) ₹० 2500/-* का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के नाम देय हो प्रस्तुत करें।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या पत्रांक-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक 02-02-2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। बाघक विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी। जब तक वन भूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते हैं।

कृपया उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन अतिशीघ्र करने का कष्ट करें ताकि शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। परिपालन आख्या के उपरान्त ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(एस०डी० त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
अलीगढ़।

पत्रांक _____ (१)/ _____ दिनांकित।

- 1- प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को विषयक क्रम में सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- प्रतिलिपि- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुक्तदाबाद को उक्त पत्र सं० 2092/14-1 दिनांक 16.03.2017 द्वारा सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस०डी० त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
अलीगढ़।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर।
पत्रांक: 2819/14-1 दिनांक, बुलन्दशहर, 25 मार्च, 2017।
सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण
पी0आई0यू0, आशियाना, फेस-1,
निकट डाप का मन्दिर, कॉठ रोड,
मुरादाबाद।

विषय:- लोक निर्माण विभाग को अलीगढ़-मुरादाबाद सीक्शन (एन0एच0-93) के चौड़ीकरण किये जाने हेतु अलीगढ़ में कि0मी0 85.700 से 100.372 तक 7.4226 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 250 वृक्षों के पातन बुलन्दशहर में किमी0 126.00 से 133.880 तक 3.5760 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 61 वृक्षों के पातन, सम्भल में किमी0 142.220 से 205.00 तक 32.7792 हे0 संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग व 3777 वृक्षों के पातन तथा मुरादाबाद में किमी0 205.00 से 232.00 तक 14.4852 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 454 वृक्षों के पातन कुल 58.2630 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 4542 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं0 -8बी/यू0पी0/06/93/2016/एफ0सी0/543 दिनांक 09.03.2017 एवं प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद का पत्रांक 2092/14-1, दिनांक 16.03.2017 व परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुरादाबाद का पत्रांक 31013/1/2010/एफ0कि0इ0-मुरादाबाद/6853, दिनांक 09.03.2017 इस कार्यालय का पत्रांक 2703/14-1, दिनांक 18.03.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं0 -8बी/यू0पी0/06/93/2016/एफ0सी0/543 दिनांक 09.03.2017 के सन्दर्भित पत्र (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दि0 09.03.2017 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्त सं0 -1 से 6 तक निम्न प्रकार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, तथा मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की पत्र सं0 384/2-37-2(ई-पेमेन्ट पोर्टल) दिनांक 20.09.2015 में दिये गये निर्देशानुसार वांछित सूचना/अभिलेख यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (58.2630X2=116.526 हे0) अर्थात् 117.004 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (इस प्रभाग की दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 7.152 हे0 भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण की धनराशि ₹0 24,34,242/-) (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) ई पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी सम्भल, अलीगढ़ व मुरादाबाद द्वारा अपने प्रभाग के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि की मांग याचक विभाग से कर वांछित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

2.(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5 3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि (इस प्रभाग की एन0पी0वी0 की धनराशि ₹0 22,38,576/-) ई पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2(ख) इसके उपरान्त याचक विभाग द्वारा ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये। तदोपरान्त ही विभिन्न स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

2(ग) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र (रक्षक स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दरों से बढोत्तरी होती है तो बची हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं प्लान पर दर्शाया जायेगा, और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बढ़ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) सेन्ट्रल जोन बीच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं0 -27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median (मिडल) पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।

6. राज्य सरकार प्रकरण में किसी भी प्रकार का शासनादेश जारी करने से पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता के नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करेंगी।

उक्त प्रकरण में दो लेन मेरठ में चौड़ीकरण कार्य के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़, बुलन्दशहर, सम्भल व मुरादाबाद में बाधक वृक्षों के पतन की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्गत की जा चुकी है। उक्त प्रस्ताव में सम्मिलित बाधक वृक्षों/पौधों का विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	जनपद	वृक्षों की सं० (गर्त >30 सेंमी०)	पौधों की सं० (गर्त < 30 सेंमी०)
1	अलीगढ़	194	56
2	बुलन्दशहर	52	09
3	सम्भल	2728	1049
4	मुरादाबाद	446	08
योग-		3420	1122

छपान- बाधक वृक्षों के छपान हेतु धनराशि (प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक प-105/16-67 (लाट) दि० 23.09.2014 के विन्दु सं०-2 में हुए संशोधन के अनुसार रू० 10/- प्रति वृक्ष के आकार पर) 61 वृक्ष दर 10/-रू० प्रति वृक्ष) रू० 610/- का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर के नाम देय हो प्रस्तुत करें।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुरक्षित परिपालन आख्या पत्रांक 11/FC/ROC/95-2011/Part-v/1227 02-02-2015 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। बाधक विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी। जब तक वन भूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते हैं।

कृपया उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन अतिशीघ्र करने का कष्ट करें ताकि शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुरक्षित परिपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। परिपालन आख्या के उपरान्त ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बुलन्दशहर।

पत्रांक: 2819 / दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, अलीगढ़, मेरठ एवं मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, अलीगढ़ सम्भल एवं मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी, खुर्जा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, डिबाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

g/sps/suv

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बुलन्दशहर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मल वन प्रभाग, सम्मल।

पत्रांक-1262/14-1. (कैम्प चन्दौसी) दिनांक, 17 मार्च 2017

सेवा में

✓ परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
पीओआईओ, आशियाना, फेस-1,
निकट बाप का मंदिर, कौठ रोड,
मुरादाबाद।

Email / तिरेक पत्रांक

विषय-

लोक निर्माण विभाग को अलीगढ़-मुरादाबाद सेक्शन (एनओएच-93) के चौड़ीकरण किये जाने हेतु अलीगढ़ में कि०मी० 85.700 से 100.372 तक 7.4226 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 250 वृक्षों के पालन, बुलन्दशहर में कि०मी० 120.00 से 133.860 तक 3.5780 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 61 वृक्षों के पालन, सम्मल में कि०मी० 142.220 से 205.00 तक 32.7792 हे० संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग व 3777 वृक्षों के पालन तथा मुरादाबाद में कि०मी० 205.00 से 232.00 तक 14.4852 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 454 वृक्षों के पालन कुल 58.2630 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 4542 वृक्षों के पालन की अनुमति।

संदर्भ-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं०-6वीं/यु०पी०/०६/१३/2016/एफ०सी०/543 दि० 09-03-2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दि० 09-03-2017 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन आपसे वांछनीय है। रूप्य निर्धारित शर्त सं०-1 से 6 तक निम्न प्रकार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तथा मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ०प्र० लखनऊ की पत्र सं०-384/2-37-2 (ई-पेमेन्ट पोर्टल) दि० 20-09-2015 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशानुसार वांछित सूचना /अभिलेख यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (58.2630X 2= 116.526 हे०) अर्थात् 117.004 हे० पर क्षतिपूर्क कृषारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक घनराशि (सम्मल वन प्रभाग की दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 66.00 हे० भूमि पर क्षतिपूर्क कृषारोपण एवं 10 वर्षों के अनुसूच्य की घनराशि सं०- 11023000/-) (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2 (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०एच०सं०-866 एवं भारत सरकार के पत्र सं-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की घनराशि (सम्मल वन प्रभाग की एन०पी०वी० की घनराशि सं०- 20519779/-) ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2 (ख) इसके उपरान्त याचक विभाग द्वारा ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी घनराशि की ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी घनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूर्क कृषारोपण हेतु जमा घनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये। उपरोक्त ही विधिगत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
- 2 (ग) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचन बढ़ता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन०पी०वी० की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई घनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
- 3- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं प्लान पर दर्शाया जायेगा। और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के अग्रे (forward) एवं पीछे (backward) उन्की दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
- 4- प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बढ़ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई०आर०सी० के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०डी०) सेन्ट्रल जोन बैच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं०-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 10-11-2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के खय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा मिडेल पर (यदि उपलब्ध है तो) कृषारोपण किया जायेगा।
- 5- प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।
- 6- राज्य सरकार प्रकरण में किसी भी प्रकार का हासनादेश जारी करने से पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचर संहिता के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेंगी।

उक्त प्रकरण में दो सेन फेड सोल्डर में चौड़ीकरण कार्य के अन्तर्गत जनपद सम्मल में बाधक वृक्षों के पालन की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से निर्गत की जा चुकी है। उक्त प्रस्ताव में सम्मलित बाधक वृक्षों / पौधों का विवरण निम्नानुसार है।

क्रम सं०	जनपद	वृक्षों की सं० (गर्त > 30 सं०मी०)	पौधों की सं० (गर्त < 30 सं०मी०)
1	सम्मल	3777	1049

छपान- बाघक वृक्षों के छपान हेतु धनराशि (प्रमुख वन संरक्षक, उज्जैन लखनऊ के पत्रांक-प-105/16-57 (लाट) दि० 23-9-2014 के बिन्दु सं०-2 में हुए संशोधन के अनुसार ₹० 10/- प्रति वृक्ष के आधार पर) 3777 वृक्ष दर 10/- ₹० प्रति वृक्ष) ₹० 37770/- का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मल वन प्रभाग, सम्मल के नाम देय हो प्रस्तुत करें।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या पत्रांक-II/FC/ROC/95-2011/part-v/1227 02-02-2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। बाघक विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी। जब तक वन भूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते हैं।

कृपया उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन अतिशीघ्र करने का कष्ट करें ताकि शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। परिपालन आख्या के उपरान्त ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(एन० पी० सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्मल वन प्रभाग, सम्मल।

पत्रांक

सम्बन्धित।

- 1- प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/मोडल अधिकारी, उज्जैन लखनऊ को विषयक काम में सूचनाई प्रेषित।
- 2- प्रतिलिपि- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरदाबाद क्षेत्र, मुरदाबाद को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, मुरदाबाद वन प्रभाग, मुरदाबाद को उनके पत्रांक-2092/14-1 दिनांक-16.03.2017 के क्रम में सूचनाई प्रेषित।
- 4- क्षेत्रीय वनाधिकारी, बनौली/गुन्डौर को सूचनाई प्रेषित।

(एन० पी० सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्मल वन प्रभाग, सम्मल।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

(एन-25, रामसंग्रहा विहार-प्रथम फेज, निकट सोनकपुर स्टेडियम, कॉठ रोड, मुरादाबाद-दूरभाष संख्या-0591-2450066)

पत्रांक 2092 /14-1 दिनांक, मुरादाबाद, मार्च, 16, 2017

सेवा में-

परियोजना निदेशक,
राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
पीठवाड़ीक्यू, आशियाना, फेस-1,
निकट टाण का गाँव, कॉठ रोड,
मुरादाबाद।

विषय: लोक निर्माण विभाग को अलीगढ़-मुरादाबाद रोडेशन (एन0एण्ड-93) के चौड़ीकरण किये जाने हेतु अलीगढ़ में कि०मी० 85.700 से 100.372 तक 7.4226 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 250 कृषी के पतन, बुलन्दशहर में कि०मी० 120.00 से 133.660 तक 3.5760 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 81 कृषी के पतन, रामगल में कि०मी० 142.220 से 205.00 तक 32.7792 हे० संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग व 3777 कृषी के पतन तथा मुरादाबाद में कि०मी० 205.00 से 232.00 तक 14.4852 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 454 कृषी के पतन कुल 58.2630 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 4542 कृषी के पतन की अनुमति।

संदर्भ: भारत सरकार प्रशासन का एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं०-बी/मृ०मी०/16/93/2016/एफसी०/543 दि० 09-03-2017.

मनोरम,

सम्बन्धित विषयक संदर्भित पत्र (प्रयाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें। इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार प्रशासन का एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त संदर्भित पत्र दि० 09-03-2017 द्वारा करीब 9 शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्णय की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्तों सं०-1 से 6 तक निम्न प्रकार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तथा मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ०प्र० लखनऊ की पत्र सं०-384/2-37-2 (ई-पेगेन्ट पोर्टल) दि० 20 अ० 2015 (प्रयाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशानुसार वांछित सूचना /अभिलेख कक्षाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पत्र में प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (58.2630X 2= 116.526 हे०) अर्थात् 117.004 हे० पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (इस प्रभाग की दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 29.00 हे० भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुपालन की धनराशि रु०- 88,14,906/-) (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) ई-पेगेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी अवगत करना है कि प्रभागीय वनाधिकारी रामगल, अलीगढ़ व बुलन्दशहर द्वारा अपने प्रभाग के अवनत क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि की मांग याचक विभाग से कर वांछित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

2 (क) प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय सचिवता न्यायालय के रिट पिटीशन (रिजिस्ट्र) 202/1985 के अन्तर्गत आई०एन०सं०-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं० 3/2007 एफसी० दिनांक 05-02-2008 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि (इस प्रभाग की एन०पी०वी० की धनराशि रु० 80,87,730/-) ई-पेगेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी अवगत करना है कि प्रभागीय वनाधिकारी रामगल, अलीगढ़ व बुलन्दशहर द्वारा अपने प्रभाग के अवनत शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की आवश्यक धनराशि की मांग याचक विभाग से कर वांछित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

2 (ख) इसके अतिरिक्त याचक विभाग द्वारा ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ई-रसीद की प्रयाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का गंदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये। उपरोक्त ही विधिक स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

2 (ग) प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा इस आख्या का वगैरे मद्दता प्रमाण पत्र (सहाय स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन०पी०वी० की दरों में बढोत्तरी होती है तो वही हुई धनराशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा विधिक स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का सीमा सत्यों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा किया जायेगा। असाय एन देशान्तर भी मानचित्र एवं फिलर पर दर्शाया जायेगा। और वन क्षेत्र में सगे प्रत्येक सत्यों के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उचित दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

4. प्रयोक्ता अधिकरण इस आख्या का तदन मद्दता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई०आर०सी० के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०वी०) सेनट्रल वन बैंक, गोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं०-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16-11-2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर का विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा गिरेन पर (सिद्ध उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

5. प्रयोक्ता अधिकरण एवं राज्य सरकार कोमान तथा अधिकारी में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।

संस्कार प्रकरण में किसी भी प्रकार का शशा-हदेश जारी करने से पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता के नियमों का पूर्ण रूपेण पालन

उक्त प्रकरण में दो सेन पेक्ट सोल्डर में चौड़ीकरण कार्य के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़, बुलन्दशहर, सम्भल व मुरादाबाद में बहाक वृक्षों के छपान की सूची/निर्देश-स्वीकृती भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्यात की जा चुकी है। उक्त प्रस्ताव में सम्मिलित बहाक वृक्षों /पौधों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	जनपद	वृक्षों की सं. (घन > 30 से.मी.)	पौधों की सं. (घन < 30 से.मी.)
1	अलीगढ़	494	56
2	बुलन्दशहर	52	9
3	सम्भल	2728	1048
4	मुरादाबाद	448	88
	कुल योग	3420	1122

संज्ञा - बहाक वृक्षों के छपान हेतु धनराशि (प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-प-१०५/१०-५७ (लाट) दि० २२-९-२०१४ के बिन्दु सं०-२ में हुए संशोधन के अनुसार रू० १०/- प्रति वृक्ष के आधार पर) ४५४ वृक्ष दर १०/- रू० प्रति वृक्ष) रू० ४५४०/- का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद के मांग देय हो प्रस्तुत करें। यह भी अवगत करना है कि प्रभागीय वनाधिकारी सम्भल, अलीगढ़ व बुलन्दशहर द्वारा अपने प्रभाग के अन्तर्गत बहाक वृक्षों के छपान हेतु आवश्यक धनराशि की मांग याचक विभाग से कर वांछित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आस्था पत्रांक-11/11/2016/प्रभ-व/1227-02-02-2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन संरक्षण अधिनियम १९८० के तहत विधिवत स्वीकृती जारी की जायेगी। याचक विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्या संस्कार प्राप्त तब तक नहीं की जायेगी। जब तक वन भूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते हैं।

कृपया उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन अतिशीघ्र करने का कष्ट करें ताकि शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आस्था भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। परिपालन आस्था के उपरान्त ही वन संरक्षण अधिनियम, १९८० के तहत भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृती जारी की जायेगी।

भवदीय,
Arund C. Khatua
 (डा० बी०सी० ब्रह्मा)
 प्रभागीय निदेशक,
 सामाजिक वानिकी प्रभाग,
 मुरादाबाद।

पत्रांक 2092 (1)/ दिनांकित।

1. प्रतिनिधि - मुख्य वन संरक्षक/वेस्टल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को विषयक कग में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिनिधि - वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, अलीगढ़, गेरठ एवं मुरादाबाद को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रतिनिधि - प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, अलीगढ़, सम्भल एवं बुलन्दशहर को विषयक कग में सूचनार्थ एवं इस आशय से कि आप भी अपने स्तर से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (आयाप्रति संलग्न) में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन (रू० १०/- प्रति वृक्ष, ए-आय०/सी०, छपान इत्यादि की धनराशि की मांग) याचक विभाग से प्राप्त कर वांछित सूचना/अभिलेख कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। ताकि इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
4. वन प्रभागीय वनाधिकारी, मुरादाबाद।
5. क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुरादाबाद।
6. लेखा लिपिक, सामाजिक प्रभाग, मुरादाबाद।

Arund C. Khatua
 (डा० बी०सी० ब्रह्मा)
 प्रभागीय निदेशक,
 सामाजिक वानिकी प्रभाग,
 मुरादाबाद।

o/c